



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245986  
CG-DL-E-22052023-245986

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2147]  
No. 2147]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/ JYAISHTHA 1, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

का.आ. 2241(अ).—केंद्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा. सत्यप्रकाश यादव, अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 29 फरवरी, 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रबंध प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

[फा.सं. डब्ल्यू एल-1/9/2023/ डब्ल्यू एल]

रोहित तिवारी, वन महानिरीक्षक (डब्ल्यू एल)

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2023

**S.O. 2241(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49E of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby designates Dr. Satya Prakash Yadav, Additional Director General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change as the Management Authority for discharging the functions and exercising the powers under the Act till the 29<sup>th</sup> day of February, 2024 or further order, whichever is earlier.

[F. No. WL-1/9/2023-WL]

ROHIT TIWARI, Inspector General of Forests (WL)